पत्रांक– 41 /XXVII(1)/2017

04064
21/01/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांकः 13 जनवरी, 2017**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट उपयोग तथा प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों में ई–पेमेंट की प्रणाली लागू रहने के फलस्वरूप आहरण वितरण के कार्य हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।**

महोदय,

वित्तीय वर्ष के अधीन बजट एवं लेखा सम्बन्धी प्रक्रिया तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–196/XXVII(1)/2015 दि0 24 फरवरी, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित देयकों को कोषागार/उपकोषागार में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष के स्तर से सभी वित्तीय स्वीकृतियां (केन्द्रपोषित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं, एस0पी0ए0 तथा एस0पी0ए0आर को छोडकर) विलम्बतम् 28.02.2017 तक जारी कर दी जायेंगी।

(2) सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त देयकों को कम्प्यूटर से जनरेट एवं अप्रूव करते हुए बिलम्बतम् रूप से 24 मार्च, 2017 तक मय आई0डी0 के भौतिक रूप से देयकों को कोषागार में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। देयकों को आनलाईन तैयार किया जाये, मैनुअल बिलों का पारण कोषागार के द्वारा नहीं किया जायेगा।

(3) कोषागारों/उपकोषागारों में ई–पेमेंट के लिए आहरण वितरण अधिकारियों से उक्तानुसार प्राप्त देयकों की चैंकिग बिलम्बतम् 27 मार्च, 2017 तक आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा ई–पेमेंट के लिए ट्रान्जेक्शन फाइल को बिलम्बतम् दिनांक 29 मार्च, 2017 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय ताकि दिनांक 31 मार्च, 2017 के पूर्व ही ई–ट्रान्जेक्शन की जॉच कर ई–देयकों के भुगतान के सफल अथवा असफल रहने की सही स्थिति ज्ञात हो सके।

(4) राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए पार्किंग फण्ड हेतु धनराशि का न तो आहरण किया जाय तथा न ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखा जाय। इस प्रकार का कृत्य वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी प्रशासकीय विभाग अपनी वित्तीय स्वीकृति की समय सारिणी इस प्रकार से बना लें कि सभी स्वीकृतियों के देयकों हेतु कोषागार से प्राप्त चेकों का भुगतान दिनांक 31.03.2017 तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत् हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 411 /XXVII(1)/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड को शासनादेश वित्त विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, देहरादून।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव